

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/साप्र-2/डी-3/विविध/2016-17/298

दिनांक:-29/09/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

Mail
Urgent

विषय:- राजकीय विद्यालयों के नाम से पानी के कनेक्शन करवाने के संबंध में दिशा-निर्देश ।
प्रसंग:- शासन सहायक सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) का पत्रांक प.24(48)शिक्षा-6/2019 दिनांक 23.9.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त मिशन निर्देशक, नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर से बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 10.12.19 की क्रियान्विति हेतु एतद् द्वारा निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-

1. आपके जिले में संचालित ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित किया जावे ।
2. उक्त बिना पानी कनेक्शन वाले राजकीय विद्यालयों में पानी का नया कनेक्शन शाला के नाम से करवाने की कार्यवाही किये जाने हेतु आपके अधिनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को आवश्यक निर्देश जारी करावे ।
3. राजकीय विद्यालयों में स्थानीय सहयोग से पानी का कनेक्शन हो जाने पर तथा कतिपय विद्यालयों में पानी का कनेक्शन नहीं हो पाने के कारणों की समीक्षा कर जिला शिक्षा अधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशालय, बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान-सरकार, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान-जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, समस्त संभाग ।
4. एनलेस्टि कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक महोदय), कार्यालय हाजा ।
6. सहायक निदेशक, मौनेटरिंग, कार्यालय हाजा ।
7. रक्षी पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान